बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
स0–4/आ0 वि0 (संधा0)–01–03/2017– 1

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार (भा0 प्र0 से0)
निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
सहरसा एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।

पटना, दिनांक– 29.12.17

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतन एवं भत्ते मद ₹61,93,540/–(इकसठ लाख तिरानवें हजार पाँच सौ चालीस रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 65 आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थाई पदों के संधारणार्थ वेतन एवं भत्ते मद मे विभागीय आवंटनादेश संख्या–18, दिनांक–06.06.2017 द्वारा पूरे वर्ष के लिए राशि आबंटित की गई है ।

2– जिला कल्याण पदाधिकारी, सहरसा के पत्र सं0–890–2, दिनांक–14.12.2017 जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के पत्र सं0–842, दिनांक–07.12.2017 के आलोक में उपलब्ध राशि (वेतन एवं अन्य भत्ते मद में) के अनुसार **₹61,93,540/–**(इकसठ लाख तिरानवें हजार पाँच सौ चालीस रूपये) मात्र रूपया मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार अतिरिक्त आवंटित की जाती है।

3– कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2017–18 में आय व्यय शीर्ष माँग सं0–44–2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–277–शिक्षा–0003–आवासीय विद्यालय–कूट सं0–0003.01.01–वेतन, 0003.01.03–जीवन यापन भत्ता, 0003.01.04–मकान किराया भत्ता, 0003.01.05, परिवहन भत्ता, 0003.01.06–चिकित्सा भत्ता, विपत्र कोड सं0–44–2225012770003 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

4– इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी, होंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होगें।

5– वित्त विभाग के पत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.1998 एवं पत्रांक–एम0–04–05/ 98 2607 वि(2) दिनांक–20.04.1998 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

6– जिन विद्यालयों से वित्तीय वर्ष 2016–17 में आवंटित राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होगा, उन्हीं विद्यालयों के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्रों से संतुष्ट होने के पश्चात संबधित जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय करेंगे। साथ ही जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा समेकित रूप से उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को भेजा जायेगा।

7– संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा साथ करेंगे।

8– आवंटनादेश में निहित निदेशो का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9– इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

10– कृपयापत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार)

निदेशक

ज्ञापांक– 4/आ0 वि0 (राधा0)–01–03/2017– 109 पटना, दिनांक – 29.12.17

प्रतिलिपिः–संलग्न विवरणी के साथ महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार /सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित उप निदेशक कल्याण, बिहार/जिला कल्याण पदाधिकारी, सहरसा/पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/संबंधित उप विकास आयुक्त, बिहार/आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

विवरणी–1

वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित नीचे अंकित अनु0 जाति आवासीय विद्यालयों के संधारणार्थ विभिन्न मदों में राशि का अतिरिक्त आवंटन।

क्र0	विद्यालय का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	कुल
1	2	3	4	5	6	7	7
1	राजकीय अम्बेदकर +2 अवासीय उच्च विद्यालय, अमरपुर, सहरसा।	241000	120500	1482200	27000	196040	2066740
2	राजकीय अम्बेदकर +2 अवासीय बालक उच्च विद्यालय, चौतरवा, प0 चम्पारण (बेतिया)।	480000	240800	2964000	52000	390000	4126800
	कुल–	**721000**	**361300**	**4446200**	**79000**	**586040**	**6193540**

(एकसठ लाख तिरानवें हजार पाँच सौ चालीस रूपये मात्र)

पत्रांक– 109 **दिनांक–** 29.12.17 **का अनुलग्नक।**

निदेशक।

निकासी एवं व्यय किया जायेगा।